SHRI A. RAJA: Sir, only last week, I wrote to the Chief Minister to have the Ordinance as early as possible. I feel, once the Ordinance is given effect, since the Tamil Nadu Government have stringent law, the officers who are involved in such raids in Tamil Nadu, can chase the offenders and.....

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: This is the border.

SHRI A. RAJA: Yes. They can chase up to their territorial limits in Tamil Nadu and, after that, by virtue of the law, they cannot catch hold of these persons. So, the lacuna is in the Kerala Government's handling of it. The Kerala Government has already been duly instructed and I have written personally to the hon. Chief Minister of Kerala in this regard.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Would you give instructions for the closure of these factories?

SHRI A. RAJA: That is not within my purview. That is within the purview of the Department of Industries of Kerala.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I want to ask the hon. Minister, through you, whether, after the killing of the forest brigand Veerappan, there is any increase in sandalwood felling, because it is also reported that because of Veerappan the other poachers were afraid of entering the forests.I want clarification from the Minister.

SHRI A. RAJA: No specific study has been conducted in this regard.

*142. [*The questioner (SHRI ABU ASIM AZMI) was absent. For answer vide page* 30]

Failure of PDS

*143. SHRI TARIQ ANWAR:†
SHRI N.K. PREMACHANDRAN:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Public Distribution System has failed to meet the expectation of the masses;

---

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Tariq Anwar.

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have received a large number of complaints regarding identification of beneficiaries, ration card owners, etc;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether Government would consider to restore the universal rationing system by replacing the existing targeted Public Distribution System; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir. The main objective of the Targeted Public Distribution System (TPDS) is to ensure availability of foodgrains at reasonable prices to Below Poverty Line (BPL) families in the country. The increasing trend of offtake of foodgrains under BPL in the last three years and the fact that the Central Issue Price (CIP) of foodgrains for BPL has been constant since July, 2002 indicate that TPDS is effective. The offtake of foodgrains under BPL in lakh tonnes (including AAY) is indicated below:

Year	Offtake of foodgrains under BPL in lakh tonnes (including AAY)
2001-02	117.31
2002-03	170.52
2003-04	199.69

(c) and (d) The implementation of TPDS is the joint responsibility of the Central and the State Governments. While the Central Government is responsible for procurement, storage and transportation of foodgrains upto the nearest Principal Distribution Centre of FCI in each State/UT, the identification of BPL families, issue of ration cards and issue of licences to the fair price shops and distribution of foodgrains to the beneficiaries is the responsibility of the respective State Governments/UTs. Government have received occasionally complaints in this respect and these have been forwarded to the concerned State Governments/UTs for appropriate action.

(e) and (f) There is no proposal at present to restore universal rationing system.

श्री तारिक अनवर: सभापति महोदय, वैसे मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बात दर्शायी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, लेकिन यह बात सही है कि केन्द्र सरकार अपनी ओर से जो राज्य सरकार की मांग होती है, उसकी पूर्ति करती है। राज्यों में हम लोग अक्सर, खास तौर पर जो देहाती इलाके होते हैं वहां पर, सार्वजनिक प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जो दुकानें होती हैं। वहां ऐसी आम शिकायत मिलती है कि वहां जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको वह माल नहीं मिल रहा है। उनको वह खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है। हालांकि एक तरफ इस बात का दावा जो मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि लगातार ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: क्वेश्चन करिए।

श्री तारिक अनवर: उसकी वृद्धि हो रही है। इस बारे में हमारा यह कहना है कि क्या राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में एक ऐसा समन्वय होना चाहिए, कोआर्डिनेशन के लिए, क्या मंत्री जी इसके लिए कोई बैठक बुलाएंगे, जिससे राज्य के मंत्रियों की, आपूर्ति मंत्रियों की, जिसमें सार्वजनिक प्रणाली को चुस्त और दुरूस्त बनाया जा सके।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि न केवल खाद्य मंत्रियों की, बल्कि सितम्बर महाने में 17 सितम्बर को हम लोगों ने विज्ञान भवन में खाद्य सचिवों की भी बैठक बुलाई थी। फिर 28 अक्टूबर को पूरे देश के सभी राज्यों से खाद्य मंत्रियों की भी बैठक बुलाई थी कि कैसे पी॰डी॰एस॰ को ज्यादा प्रभावी बनाया जाये, ज़्यादा फंक्शनल बनाया जाय। यह यू॰पी॰ए॰ गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही है, चिन्ता रही है और जहां तक गांव के गरीब लोगों तक अनाज पहुंचने की बात माननीय सदस्य ने पूछी है तो सन् 1997 में ई॰पी॰डी॰एस॰ इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि पहले जो पी॰डी॰एस॰ पर आरोप लगता था अरबन बायस का वह आरोप खत्म हो और जिस तरह से आफटेक है उससे भी आपको देखने से पता चलता है कि आफटेक बहुत बढ़ा है और खास करके गरीब लोगों तक हमारा अनाज ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: वह तो सही है, लेकिन आफटेक तो बहुत बढ़ा है लेकिन गरीबों के पास अनाज पहुंचा है क्या, यह है क्वेश्चन।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: हमने दिया है 2001-02 में ...(**व्यवधान**)... पिछले तीन साल का ...(**व्यवधान**)... आप फिर से नया सवाल पूछेंगे। जो सवाल पूछा गया है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं सभापति महोदय। इसलिए इसमें सदन की जो चिन्ता है उसमें सरकार की भी

प्राथमिकता है कि किस तरह से जो एट द रिस्क ऑफ हंगर वाली फैमिलीज हैं इस देश में उन तक कम से कम प्राइस में हम लोगों को अनाज मुहैया करा सकें और हमारे देशवासी कोई भूख से नहीं मरें।

श्री सभापति: ठीक है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जितने इस प्रश्न पर सप्लिमेंटरी आये हैं,मेरे पास, जो नोटिस, सूचनाएं हैं, इतनी पहले कभी नहीं आईं। इसका मतलब पूरे हाउस की यह चिन्ता है कि वितरण प्रणाली में कहीं-न-कहीं दोष है। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट। आप बैठिए। मैं आपकी ही भावना बता रहा हूं। मंत्री महोदय यहा हैं। सदन में पिछले सत्र में इस पर चर्चा हुई थी थोड़ी और उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि मैं विपक्ष के नेताओं से बैठ कर इसकी चर्चा करूंगा। शायद वह चर्चा भी हुई है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारे मेम्बर्स की यह चिन्ता है कि इस वितरण प्रणाली को बिल्कुल शुद्ध किया जाए ताकि गरीबों के हक का अनाज गरीब को मिल जाए। अब उस संबंध में आप क्या कर सकते हैं। इमीडिएटली तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। आप जो गोडाउन से अनाज भेजते हैं, वह गरीब की पेट तक पहुंच जाए।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति जी।

श्री सभापति: बस इस पर हो गया। सबके क्वैश्चन्स हो गए।

श्री मूल चन्द मीणा: सर, मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भूख से नहीं मरा। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सहरिया जाति के लोग, करीब बीस आदमी भूख से मरे हैं?

श्री सभापति: आप छोड़िए। अब राजस्थान को यहां मत लाओ।

श्री मूल चन्द मीणा: सर, मैं यह बता रहा हूं, क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि भूख से कोई नहीं मरा।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, यह सवाल जो राजस्थान का यहां बताया गया, यह बात सच है कि राजस्थान में सहरिया कम्युनिटी में इस तरह की परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र के नंदुरबाग और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कुछ परिस्थिति पैदा हुई इसकी डिटेल्स में हम गए हैं, मगर वहां के अनाज के जो गोदाम थे, दुकानें थीं, उनमें अनाज की ऐसी परिस्थिति नहीं थी बल्कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं थी क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था। अनाज था, मगर लोगों को काम नहीं मिल रहा था और इसलिए अनाज खरीदने की उनकी शक्ति नहीं थी। इसलिए वहां परिस्थिति बदल गई। हमने इसमें दूसरा एक संशोधन ऐसा किया, जैसे राजस्थान की ऐसी स्थिति है, जैसे महाराष्ट्र के दो डिस्ट्रिक्ट्स की ऐसी स्थिति है, वैसी ही स्थिति उड़ीसा में भी है, तो ऐसे एरियाज़ में जहां कारण कोई भी हो सकता है, जैसे काम नहीं मिला, इसलिए अनाज नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमने उन पंचायतों में अनाज रखने

का प्रबंध किया है। अब भले ही लोगों के पास पैसे न हों, मगर ग्राम पंचायत का प्रधान गांव के गरीब लोगों को अनाज दे सकेगा और पैसे बाद में भी वसूल कर सकता है। इसका इंतजाम अभी हमने किया है। जहां तक बीपीएल और एएएल का है, इसमें नाराजगी इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि इससे पहले पूरे देश में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम था, सबको अनाज मिलता था, मगर बाद में वर्ष 1997 से इसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन ऐसा किया कि सबको जो अनाज मिलता था, इसमें बदल हुआ और those, who are below the poverty-line, और जो एएएल, अंत्योदय में आते हैं, उनको ज्यादा अनाज देने के लिए प्रबंध किया गया। इसमें शिकायत यह थी, देश के फूड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, इसमें शिकायत यह हो गई कि इसमें सिर्फ आपकी अर्बन एप्रोच है, रूरल एप्रोच नहीं है, गांव में रहने वाले गरीब लोगों को अनाज मिलता नहीं, इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें ट्रोटल एप्रोच ही बदला और बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की बात थी। मेरी जहां तक इंफोरमेशन है, बीपीएल और एएवाई, इन दो कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वे सब गरीब लोग हैं। हमारा वर्ष 2000-2001 में जो 96 लाख ऑफटेक हुआ था, वह वर्ष 2001-2002 में 117 लाख का हो गया, वर्ष 2002-2003 में 170 लाख का हो गया और वर्ष 2003-2004 में 199 लाख का हो गया। इसका मतलब हमारे यहां ऑफटेक बढ़ रहा है, मगर यह ऑफटेक सभी के लिए नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ बीपीएल और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बढ़ रहा है। जहां तक एबोव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, वे पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन से अनाज नहीं लेते, क्योंकि उन्हें अच्छा अनाज इसी कीमत पर या इससे कम कीमत पर बाजार में मिल जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट। जो लोग बीपीएल में नहीं हैं, वे इसलिए आपका अनाज नहीं खरीदते क्योंकि बाजार में अनाज सस्ता है, तो फिर गरीब लोगों को महंगे भाव से क्यों देते हैं?

श्री शरद पवार: सर, क्योंकि एएवाई में 2/- रुपए किलो व्हीट और 3/- रुपए किलो राइस देने का इंतजाम किया है ओर इसकी कवरेज भी बढ़ी है।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी।

श्री सभापति: नहीं। अब मंत्री जी का इसमें सारा जवाब तो आ गया है।

डा॰ फारुक अब्दुल्ला: सर, मंत्री जी के लिए एक सजेशन है। यहां इन्होंने कुछ एरियाज के नाम लिए हैं, वहीं हमारे यहां भी कुछ इलाके हैं, जैसे डोडा वगैरह है, जहां लोगों की इतनी गरीबी है, मगर एक जमाने में एक स्कीम थी-फूड फोर वर्क की, कि वहां पर काम होता था और उनको अनाज दिया जाता था। अगर इसकी तरफ भी आप सोचें तो जो गरीब आदमी है, जिसके पास कोई सहायता नहीं है पैसे की, अगर उनके लिए आप यह थीम जारी करें तो एक तो इससे बच जाएगा और दूसरे आपका इस

पर कंट्रोल नहीं है, इससे यह हो जाता है कि जो आपका चावल आता भी है या आटा आता भी है गरीबों के लिए, वह क्योंकि कम कीमत का होता है तो जो साहूकार, जो दुकानदार है, वे उसको ले जाते हैं। and the Government finds its way again back into the rich man's godown. और गरीब के नाम पर आता है, मगर हमने यह देखा है, मैंने अपने स्टेट में भी देखा है, In my State also, हमने बहुत लोगों के लिए यह किया है। मैं समझता हूं कि जहां मेरी स्टेट में यह होता है, दूसरी स्टेट में भी होता होगा। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें कंट्रोल का कोई न कोई तरीका करना पड़ेगा और फूड फॉर वर्क का करना पड़ेगा, उससे कुछ बचाव हो सकता है।

श्री शरद पवार: इसीलिए 150 डिस्ट्रिक्ट्स में फूड फॉर वर्क की स्कीम अभी इंट्रोडयूज़ की गई है थ्रू रूरल डेवलपमेंट और फूड मिनिस्ट्री उनको फूड देने का इंतजाम करती है। इसकी शुरुआत इसी साल 14 नवम्बर से की गई है। आपने जो जिला दिया है, वह इसमें शामिल हुआ है या नहीं, मैं जरूर देख लूंगा और अगर नहीं हुआ होगा तो इसमें सुधार करुंगा। मगर फूड के बारे में हमने एक कांशिअस डिसिज़न ले लिया कि आज तक हम फूड एक्सपोर्ट करते थे, आज हमने फूड एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। हमने इंतजाम किया कि जब तक फूड सिक्युरिटी की समस्या हल नहीं होती, तक तक हम लोगों की मदद करेंगे और सब्सिडाइज्ड फूड देश से बाहर भेजने की जो इससे पहले स्कीम थी, वह हम चलाना नहीं चाहते, उसे बंद करना चाहते हैं और आज हमने वह बंद की है क्योंकि पहले अपने देश के गरीब लोगों की फूड सिक्युरिटी पर हमें ध्यान देना है और फूड फार वर्क के लिए अनाज को उपलब्ध कराना है और हमारा टॉप मोस्ट प्रियारिटी इसके लिए रहेगी। जहां कमियां हैं उनमें सुधार करने के लिए, जहां आवश्यकता है, वहां मेरा व्यक्तिगत ध्यान रहेगा।

श्री सभापति: श्री दत्ता मेघे, आपका प्रश्न हो गया, यू आर सेटिस्फाइड।

श्री दत्ता मेघे: नहीं, सर, आपने मेरा नाम लिया है।

श्री सभापति: ठीक है, पूछ लीजिए।

श्री दत्ता मेघे: सर, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं और जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने भी कहा है कि वह उन तक नहीं पहुंचता है। हमारे महाराष्ट्र की बात है, वहां कुपोषण हुआ है। मंत्री महोदय को भी सब मालूम है। मेरा कहना है कि जो फूड फार वर्क के लिए कहा गया है, वह हमारे महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के तीन-चार जिलों में कुपोषण हो रहा है, वहां बहुत बुरी हालत है। तो महाराष्ट्र और सारे देश के जो दुर्भिक्ष वाले जिले हैं, आदिवासी जिले हैं, वहां पर लोगों की याजी बराबर बनी नहीं है और यदि याजी में नाम नहीं है तो उनको नहीं मिलता है। तो मैं स्टेट मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि ऐसी जिलों में याजी अप-टू-डेट करके आप उनको अनाज दिलाने की कोशिश करेंगे?

श्री सभापति: आप स्टेट मिनिस्टर से क्यों, मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिए।

श्री शरद पवार: यह बात सच है कि कोई डिस्ट्रिक्ट्स से और कई राज्यों से एक शिकायत यह आ रही है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की जो लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट के बारे में लोगों में नाराज़गी है, उसमें कुछ कमियां हैं। इसमें सुधार यह किया गया है कि लिस्ट बनाने के लिए अब हम पंचायत की भी सलाह ले रहे हैं। पंचायत की, गांव की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर उनके सामने कहा जाता है कि यह लिस्ट हमारे सामने आई है, इसमें कुछ कमियां हों तो आप सुधार करो। उनसे सलाह लेकर लिस्ट रिवाइज़ करने की बात है। प्लानिंग कमीशन ने इस बारे में कुछ गाइड लाइंस दी हैं, उन गाइड लाइंस के मुताबिक यह काम हुआ है। मगर यह बात सच है कि इसमें शिकायतें आ रही हैं और उन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जिन पर हम ध्यान देंगे।

श्री सभापति: इसका एक छोटा सा समाधान मैं बता देता हूं।

श्री शरद पवार: बताइए।

श्री सभापति: ऐसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अगर आप इस प्रकार का संशोधन कर दें कि जो आदमी बी॰पी॰एल॰ परिवार से ऊंचा है, वह अगर बी॰पी॰एल॰ का कार्ड लेता है तो वह एक ऑफेंस बनेगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा एक सवाल है। अगर मंत्री जी माननीय तारिक अनवर जी के प्रश्न को देखें तो उसमें एक ''सी'' पार्ट है- "whether Government have received a large number of complaints regarding identification of beneficiaries,....." और अगर आप अपने उत्तर को देखें तो This crucial question has been treated in a casual manner. मैं लास्ट में पढ़ रहा हूं–The Government has received occasional complaints in this regard which have been forwarded.

आदरणीय मंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं। पहला है, आपके पास क्या कोई राज्य-वार सूची है? आपके राज्य मंत्री बिहार से आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बी॰पी॰एल॰ कार्ड के ऊपर कितना घपला हो रहा है, लाल कार्ड के ऊपर, यह हम सब जानते हैं। तो मेरा खाली यह पूछना है कि क्या आपके पास कोई सूची है? आप इतनी बड़ी संख्या में जो अनाज देते हैं, उसको जमीन तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है? यह पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न मेरा ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पहला ही काफी है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: नहीं, सर, ''बी'' पार्ट है।

सर, मेरे प्रश्न का ''बी'' पार्ट यह है क्योंकि आपका कहना है कि सैंटर-स्टेट मिलकर यह काम

करती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि सेंट्रल लेवल पर आपकी क्या मैकेनिज्म है कि जहां पर डेविएशन होता है, जो आप अनाज रिलीज करते हैं, वह लोगों को पहुंच रहा है, इसकी मैकेनिज्म क्या है?

श्री शरद पवार: सभापति महोदय, भारत सरकार का काम प्रोक्यारमेंट का है, स्टोरेज का है और ट्रांसपोर्टेशन का है जबकि Identification of BPL assemblies का काम State Government का है, issuance of Ration Card, State Government की जिम्मेवारी है। Issuance of Licences to the fair price dealers, State Govenment का काम है। Distribution of foodgrains to the beneficiaries, respective State Government और UT Government का काम है। हम लोग भारत सरकार की तरफ से मानीटिरिंग का काम करते रहते हैं। जो भी इस तरह की शिकायतें आती हैं वे concerned State Governments को और यूटीज को भेजते हैं, लेकिन यह काम respective State Governments का है।

श्री सभापति: ठीक है...(व्यवधान)...

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, you also look at us ...(*Interruptions*)...

श्री संजय निरुपम: आदरणीय सभापति जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। ...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, बैठिए आप।

श्री शरद पवार: सभापति जी, वह मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, एक बड़ा सुखद संयोग है कि राशनिंग दुकानों से अनाज के वितरण का कार्यक्रम है और उससे मेरा जो प्रश्न है वह महाराष्ट्र के संदर्भ में है तथा यहां के जो मंत्री महोदय, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वे भी महाराष्ट्र के एक प्रमुख नेता हैं। महाराष्ट्र का प्रशासन भी आप जानते हैं। आपने जवाब में यह बताया कि राशन की दुकानों से अनाज जिस भाव पर मिल रहा है, उससे सस्ते भाव पर खुले बाजार में माल मिल रहा है। 1995 से लेकर 1999 के बीच महाराष्ट्र में राशन की दुकानों से मिलने वाले तमाम अनाज और मीठे तेल का जो भाव था वह निर्धारित किया गया था, पूरे पांच साल तक वह भाव बढ़ने नहीं दिया गया था और इसका नतीजा यह निकला की खुले बाज़ार के भाव से वह दाम कम था इसलिए लोग टूट कर जाते थे राशन की दुकानों से अनाज खरीदने के लिए। जैसे ही 1999 के बाद आप लोगों की सरकार आई आपने सबसे पहले उस योजना को बंद किया और यह कहा कि सबसिडी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो मेरा सवाल केवल

इतना है कि आखिर क्या सबसिडी थी और अगर सबसिडी इतनी हो कि स्टेट गवर्नमेंट और आप संभाल सकें तो क्या फिर से उस योजना को लागू करने का विचार आप स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं क्योंकि आप स्वयं महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं और आपकी सरकार चल रही है वहां पर।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री शरद पवार: एक तो इसको भारत सरकार की तरफ से ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: भारत सरकार नहीं मैं महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहा हूं।

श्री शरद पवार: वे कह रहे हैं महाराष्ट्र ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: आप महाराष्ट्र के नेता हैं और महाराष्ट्र के दु:ख को आप जानते हैं, इसी नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं।

SHRI SHARAD PAWAR: I cannot reply on behalf of the Government of Maharashtra.

श्री सभापति: Next question, next. ....(*interruptions*)...next Shri Vijayaraghavan. अब हो गया, बहुत हो गया। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: त्रिपुरा, त्रिपुरा नार्थ-ईस्ट से एक बोलने दीजिए।

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I have been raising my hand to put my supplementary from the beginning of this question. ...(*Interruptions*)... Sir, the Rural Development Department have allotted in Tripura and in other North-Eastern States a lot of works. But the FCI is not releasing foodgrains. That is the reason why the rural development works are suffering, particularly in Tripura. Sir, only one-third of the allotment has been delivered and the remaining two-third is due from the FCI. So, I would like to know from the hon. Minister what action has been taken by his Ministry on this.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, it is the responsibility of the Government of India and the FCI to allot foodgrains to every State. And it is the responsibility of the State Government concerned to lift the foodgrains from the FCI godowns. If they are not lifted by the respective State Governments, we will take it up with the State Government.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, the problem is that the FCI is not releasing the foodgrains. The State Government is ready to lift them.

SHRI SHARAD PAWAR: If you are facing this type of problem,

please communicate it to me. There is so much of foodgrains in our godowns. There is no shortage of foodgrains. We will definitely act in such a fashion that the required foodgrains will be allotted and delivered to the States.

श्री सभापति: श्री बिमल जालान, यह अंतिम प्रश्न है। ...(**व्यवधान**)... अब हो गया आप ने बता दिया है।

SHRI BIMAL JALAN: Sir, I am not asking any question. I just wanted to make a small point. We have been listening to this debate for the last 10 or 15 years, whichever side—this side or that side—is in power. The same issue that the whole distribution system is not working effectively arises. My point is, this question cannot be answered in terms of question-answer during the Question Hour. We all know that there is problem and unless we think of a new distribution system, we cannot solve the problem. This is the experience. When they were on this side, similar questions were asked. Now, they are on this side, and similar questions are being asked because there is a problem.

The problem is multiple-level agencies are involved, muliple persons are involved, dual-pricing and triple pricing system is involved, the quality of grain is involved. So, unless we think of some innovative method, involving the people on the ground who are beneficiaris, in the distribution system itself, we cannot make a breakthrough. My second suggestion to the hon. Minister is to idenify a few districts, where the scheme is working well; and, then, see if we can learn something from the system. However, my simple point is that it cannot be done by simply putting questions. We may get together, maybe in a Standing Committee, or, somewhere else, and look at the whole system because the whole country is involved.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, this is a good suggestion. I myself will invite all the interested hon. Members. We will explain the detailed scheme. I have no objection or hesitation in listening to the suggestions of the hon. Members and take corrective actions.